उत्तराखण्ड शुगर्स

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0

एस–08, त्यौनर विला, सी–ब्लॉक, गणेश विहार, अजबपुरखुर्द,
देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
दूरभाष सं0 :- 0135-6050050, वैब साईट– www.uttarakhandsugars.com ई–मेल : usugars@rediffmail.com

पत्रांक 1237 दिनांक 07/03/16

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रख्यापित की गयी पदोन्नति नीति 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम 02 में अंकित वर्तमान पदोन्नति नीति के स्थान पर कॉलम 03 में अंकित पदोन्नति नीति एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से प्रतिस्थापित की जाती है–

संवर्ग का नाम	वर्तमान पदोन्नति नीति	प्रतिस्थापित पदोन्नति नीति
सिविल अभियनता स्वर्ग	1– शुगर वेजबोर्ड के अधीन जो डिप्लोमा होल्डर्स अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाईजरी–ए वेतनमान में कार्यरत है, को सुपरवाईजरी–ए वेतनमान में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा के उपरान्त अवर अभियन्ता (सिविल) वेतनमान रू0 5000–8000 में ज्येष्ठता/श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।	1– शुगर वेजबोर्ड के अधीन जो स्थायी डिप्लोमा होल्डर्स अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाईजरी–सी अथवा इससे उच्च वेतनमान में कार्यरत है, को सुपरवाइंजरी–सी अथवा इससे उच्च वेतनमान में कुल 20 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि की नियमित सेवा के उपरान्त अवर अभियन्ता (सिविल) वेतनमान रू0 5000–8000 में ज्येष्ठता/श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्त/ पदोन्नत किया जा सकेगा।
लेखा संवर्ग	3– लेखाकार के पद का अगला उच्च पद लेखाधिकारी संघ वेतनमान रू0 8550– 14600 का होगा जो केन्द्रीयत सेवा का होगा। इस पद को 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत लेखाकारों में से विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति का आधार श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता होगा। पदोन्नति हेतु शुगर वेजबोर्ड के अधीन वे लेखाकार पात्र होंगे जिन्होंने इस पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	3– लेखाकार के पद का अगला उच्च पद लेखाधिकारी संघ वेतनमान रू0 8550–14600 का होगा जो केन्द्रीयत सेवा का होगा। इस पद को 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत लेखाकारों में से विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। पदोन्नति का आधार श्रेष्ठता–सह–ज्येष्टता होगा। पदोन्नति हेतु शुगर वेजबोर्ड के अधीन वे लेखाकार पात्र होंगे जिन्होंने लेखाकार पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो तथा लेखालिपिक, सहायक लेखाकार एवं लेखाकार पद पर कुल 25 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

ह0 2017m:

ह

4/3/2016

गन्ना संवर्ग	4-- गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान रू0 8550-14600 के 50 प्रतिशत पदों को ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान रू0 5000--8000 में कार्यरत ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक के रूप में इस पद पर कम से कम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।	4-- गन्ना विकास अधिकारी वेतनमान रू0 8550- 14600 के 50 प्रतिशत पदों को ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक वेतनमान रू0 5000-8000 में कार्यरत ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिनके द्वारा ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो तथा गन्ना विकास निरीक्षक पद पर की गयी सेवा को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
गन्नां संवर्ग	5- उप मुख्य गन्ना अधिकारी के बाद अगला उच्च पद मुख्य गन्ना अधिकारी वेतनमान रू0 14300-18300 का है। इस पद को उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 10000-15200 में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता-सह- ज्येष्टता (मैरिट कम सीनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी।	5- उप मुख्य गन्ना अधिकारी के बाद अगला उच्च पद मुख्य गन्ना अधिकारी वेतनमान रू0 14300-18300 का है। इस पद को उप मुख्य गन्ना अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा पदोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उप मुख्य गन्ना अधिकारी तथा गन्ना विकास अधिकारी के पद पर कुल 10 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता (मैरिट कम सीनियोरिटी) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी।
सहायक अभियन्ता (इंस्ट्रू0) संवर्ग	वर्तमान पदोन्नति नीति में स0 अभियंता (इंस्ट्रू0) का पद सीधी भर्ती का रखा गया है तथा इसके उपरान्त इन्हें कमशः रू0 10000 -15200 एवं रू0 12000-16500 के समयमान वेतनमान निर्धारित सेवावधि के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था है।	सहायक अभियन्ता (इंस्ट्रू0) के पद पर वेतनमान रू0 8550-14600 में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उप मुख्य अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु पात्र माना जाएगा तथा पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ता (मैके0/विद्युत) के साथ इनका कोटा 1 : 4 में निर्धारित किया जाएगा। यदि 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त पदोन्नति प्राप्त नही होती है तो सहायक अभियन्ता (इन्स्ट्रू0) के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त रू0 10000 -15200 का प्रथम समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर अनुमन्य कराया जायेगा तथा प्रथम समयमान वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त भी सहायक अभियन्ता (इन्स्ट्रू0) के पद से प्रोन्नति न होने की दशा में द्वितीय समयमान वेतनमान पात्रता के आधार पर रू0 12000-16500 अनुमन्य होगा।

आसवनी संवर्ग	1– केनबोर्ड के अधीन एल्कोहॉल टैक्नोलोजी में डिप्लोमाधारी आसवनी में कार्यरत एल्कोहॉल टैक्नोलोजिस्ट से लैब इंचार्ज आसवनी के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति नीति में व्यवस्था नहीं है।	1– लैब इंचार्ज आसवनी के पद को प्रथमतः सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। यदि आसवनी की आवश्यकता के अनुरूप सीधी भर्ती की प्रक्रिया यथासमय सम्पन्न नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में केनबोर्ड के अधीन एल्कोहॉल टैक्नोलोजी में डिप्लोमाधारी कार्मिक जिनके द्वारा एनालिसिस्ट के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, को भी ज्येष्ठता/श्रेष्ठता के आधार पर केन्द्रीयत सेवा में आसवनी लैब इंचार्ज के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाएगा।

पदोन्नति नीति 2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा पदोन्नति नीति में निहित अन्य व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

(प्रदीप सिंह रावत)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1– प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स।
2– समस्त प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल सितारगंज, बाजपुर एवं नादेही।
3– गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)
प्रबन्ध निदेशक